राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.17(27)गृह–5/2011 जयपुर, दिनांक : 11–08–2011

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

विषय – विभिन्न प्रदर्शनों व आन्दोलनों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

विगत वर्षों में प्रदेश व देश में विभिन्न आन्दोलनों व प्रदर्शनों के कारण जन सम्पत्ति को पहुँची हानि, आमजन को हुई असुविधा व इन आन्दोलनों व प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय तथा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों ने विभिन्न निर्णय/दिशा–निर्देश/समुक्ति (Observations) दिये हैं, जिनके आधार पर क्रियान्वयन किये जा सकने वाले बिन्दु निम्नानुसार है :–

1. किसी भी प्रदर्शन के आयोजक द्वारा निर्धारित रूट को पुलिस द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन व समीक्षा किया जाना एवं शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हेतु शर्तों का निर्धारण किया जाना।
2. प्रदर्शन के दौरान सभी प्रकार के हथियार, जिसमें चाकू, लाठी व समान प्रकार के हथियार शामिल है, प्रतिबन्धित होंगे।
3. प्रदर्शन के आयोज़कों द्वारा, ऐसे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन जिसमें प्रत्येक प्रासंगिक जंक्शन पर मार्शल होंगे, का लिखित वचन प्रस्तुत करना।
4. राज्य सरकार एवं पुलिस द्वारा ऐसे प्रदर्शनों की अधिकतम सम्भव सीमा तक विडियोग्राफी करना।
5. प्रदर्शन अगर एक जिले तक सीमित है, तो उसका पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक द्वारा तथा प्रदर्शन एक जिले से अधिक जिलों में है, तो उसका पर्यवेक्षण महानिरीक्षक रेंज द्वारा किया जाना व एक रेंज से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदर्शन होने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/ महानिदेशक द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना।
6. किसी भी प्रदर्शन के हिंसक होने पर पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा विडियोग्राफी सुनिश्चित किया जाना एवं इस सम्बन्ध में मीडिया सहित सम्बन्धित पक्षों से अन्य सूचनायें प्राप्त करना।
7. पुलिस द्वारा घटनाक्रम के विवरण (मय क्षति) को तुरन्त राज्य सरकार को सूचित किया जाना।

8. राज्य सरकार द्वारा पुलिस रिपोर्ट व अन्य सूचनाओं के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करना, जिससे सम्बन्धित न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा पर कार्य किया जा सके।

9. आसूचना संकलन को कार्यकारी रूप से प्रभावशाली बनाना व निरोधात्मक गिरफ्तारियाँ करना।

10. प्रदर्शन/आन्दोलन के बाद स्थिति को तीव्र गति से सामान्य बनाने के लिये योजना का निर्माण।

निर्देशानुसार निवेदन है कि उक्त बिन्दुओं के आधार पर इस सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले दिशा–निर्देशों का प्रारूप इस कार्यालय को शीघ्र भेजने का श्रम करें, जिससे कि उन्हें कार्यकारी अभिकरणों (जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक) को क्रियान्विति हेतु प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

उप शासन सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

11/8/11

17/1/17

(जगदीश सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

E:\November2009\Letter(From19February).doc